

राजस्थान सरकार

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट करौली

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिंह तोमर आर.ए.एस

मु०नं० 21/016

आर.सी.एम.एस.नं. 2018/00020 तारीख रजु:- 20.06.2016

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला करौली

:- सायल

बनाम

ईश्वरलाल पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी राजौर थाना कैलादेवी जिला करौली

:- गैरसायल

इस्तगासा इन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

निर्णय

दिनांक 27.02.2020

पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैरसायल ईश्वरलाल पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी राजौर थाना कैलादेवी जिला करौली के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सदर करौली जिला करौली में निम्न केस दर्ज हुये है।

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर व दिनांक	धारा	नतीजा पु० चार्ज०नं०	न्यायालय निर्णय व जुर्माना
01	68/12 दि० 17.07.2012	13 आरपीजीओ एक्ट	45 दिनांक 29.07.2012	जुर्माना 100रुपय
02	112/12 दि० 01.12.2012	13 आरपीजीओ एक्ट	71 दिनांक 07.12.2012	जुर्माना 100रुपय

उक्त पंजीवृत आपराधीक प्रकरण में वाद जॉच चार्ज शीट किता कर संबन्धित न्यायालय में चालान पेश किया गया जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणों में दोषी मानते हुये जुर्मान के ठण्ड से दण्डित किया गया। गैरसायल जुआ,सट्टा का आदतन अपराधी है। जिसमें आम जनता में कुप्रभाव पडता है। इतने प्रकरण दर्ज होने के बाबजूद भी इसकी कार्य सैली पर कोई असर नहीं हो रहा है। बल्कि हॉसला बुलन्द होता जा रहा है। कानून का भय कतई नहीं रखता है। निरन्तर अपराध करता जा रहा है। ऐसे अपराधी को खुले रूप से घुमना आम जनता के जान माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। ऐसे अपराधी का खुले रूप में सामाजिक सुरक्षा एवं कानून के राज के लिए कतई हित में नहीं है। इस तरह के अपराधी के खिलाफ गुण्डा एक्ट की कार्यवाही किया जाना आम जनता के हित में है।

अन्त में स्थगासा पेश कर गैरसायल अपराधी ईश्वरलाल पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी राजौर थाना कैलादेवी जिला करौली के खिलाफ कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

स्थगासा को साबित करने के लिए एफआईआर की प्रति नतीजा चार्ज शीट की प्रति नतीजा न्यायालय की प्रति एवं गवाह के नाम पेश की है।

स्थगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम -04 के उल्लेखन अनुसार राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक उपस्थित आया। गैरसायल ने जवाब एवं एक प्रार्थनापत्र सहमति का पेश कर निवेदन किया है। कि प्रार्थी गरीब व्यक्ति है और उसके छोटे-छोटे बच्चे है। प्रार्थी को दोष मुक्त कर माफ फरमाया जावे यदि प्रार्थी को दोषी माना जावे तो अन्य जिले में नहीं भेजकर अन्य थाने में उपस्थिती देने हेतु पाबंद फरमाया जावे।

सायल की ओर से इस्तगासा में प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा न्यायालय निर्णय की प्रति, नतीजा चार्ज शीट की प्रति, पेश की गई है। जिसमें गैरसायल को आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसायल ने अपने बचाव पक्ष में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य आदि पेश नहीं की गई है।

गैरसायलान को असलान एवं वकालानतन सुना गया। सायल ने अपने इस्तगासा में गैरसायल के खिलाफ दो मुकदमें दर्ज करते हुये सक्षम न्यायालय में चार्ज शीट पेश की गई थी जिसमें

सक्षम न्यायालय ने अपने निर्णय में गैरसायल को आर्थिकदण्ड से दण्डित किया गया है। सायल के इस्तगासा में कथा अनुसार गैरसायल जुआ सट्टा का आदतन अपराधी जिससे आम जनता को कुप्रभाव पड़ता है। गैरसायल सक्षम न्यायालय के दण्डित के बाद भी अपनी कार्य शैली पर कोई असर नहीं हो रहा है जिससे आम जनता में ऐसे अपराधी का खुले रूप में घुमना जान माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। जिसमें गैरसायल द्वारा अपने जबाब में गरीब व्यक्ति होना स्वीकार करते हुये दोष मुक्त किये जाने का भी निवेदन किया गया है। किन्तु जब सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को दण्ड से दण्डित कर दिया गया है तो गैरसायल के विरुद्ध यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियमों के तहत अपराधिक कृत कारित करने में सल्लिप्त है। गैरसायल का कृत्य अनैतिक है। जो समाज के लिए अभिशाप है। ऐसे में उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाना उचित समझते हैं।

अतः सायल / प्रार्थी का इस्तगासा स्वीकार किया जाकर ईश्वरलाल पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी राजौर थाना कैलादेवी जिला करौली को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाता है। तथा गैरसायल को 15 दिवस की समयावधि के लिए थाना कैलादेवी जिला करौली के परिक्षेत्र से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। थाना अधिकारी कैलादेवी को आदेश दिये जाते हैं कि दिनांक 15.03.2020 से 29.03.2020 तक की समयावधि के लिये थाना कोतवाली करौली पर रहने हेतु संपूर्ण करें। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थाना अधिकारी कोतवाली करौली को देगा इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा किसी अपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा एवं 15 दिवस की समाप्ति से पूर्व थाना कैलादेवी करौली के किसी भी भाग में प्रवेश नहीं करेगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधिक्षक करौली एवं थाना अधिकारी कोतवाली करौली एवं कैलादेवी को भेजे तथा एक प्रति गैरसायल को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुर्दशनसिंह तोमर)

अति० जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
करौली

